

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा०बीज०अनु०-01/2016 6045 /कृ० पटना, दिनांक 22-9-2017  
प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, गा० प्र० से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स डू फ्लोर एग्री प्रोडक्ट्स प्रा० लि०,  
ऑफीस नं०-6, नुलन सुर्यप्रभा मैनस,  
2<sup>nd</sup> फ्लोर, हरीओम अपार्टमेन्ट न्यू डॉक बंगला रोड,  
पटना।

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए.कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या...33/2017...संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 21.09.2020 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :-बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

6045

/कृ०, पटना, दिनांक 22-9-2017

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०२टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

वमेश 3

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स डू-फ्लोरा एग्री प्रोडक्ट्स प्रा० लि० द्वारा व्यवसाय किये जाने वाले बीजों की सूची

पत्रांक:

6045

दिनांक: 22-9-17

LIST OF SEED

SR.NO.	CROP	VARIETIES
1	Hybrid Maize	DF-45 MH, DF-40 MH, DF-46 MH, DF-47 MH, DF-42 MH, DF-43 MH, DF-48 MH.
2	Hybrid Sunflower	DF-60 SF, DF-63 SF, DF-64 SF.
3	Hybrid Paddy	DF-12 RH, DF-14 RH, DF-15 RH, DF-16 RH, DF-18 RH
4	Hybrid Bajra	DF-55 BH, DF-56 BH, DF-57 BH, DF-58 BH, DF-59 BH, DF-50 BH
5	Hybrid Sorghum	DF-33 JH, DF-34 JH, DF-36 JH, DF-37 JH, DF-38 JH
6	Improved Paddy	DF-20 RV, DF-23 RV, DF-24 RV, DF-25 RV, DF-27 RV, , DF-28 RV
7	Hybrid SSG	DF-70 SS, DF-74 SS
<b>VEGETABLES</b>		
8	Hybrid Chilly	DF-101 CH, DF-102 CH, DF-103 CH, DF-105 CH, DF-106 CH, DF-121 CH, DF-122 CH
9	Hybrid Tomato	DF-212 TH, DF-213 TH, DF-214 TH, DF-216 TH, DF-217 TH, DF-222 TH
10	Hybrid Bhendi	DF-310 OH, DF-312 OH, DF-313 OH, DF-306 OH, DF-315 OH
11	Hybrid Ridge Gourd	DF-501 RG, DF-502 RG, DF-504 RG, DF-505 RG
12	Hybrid Bottle Gourd	DF-666 BG, DF-608 BG, DF-607 BG, DF-609 BG,
13	Hybrid Bitter Gourd	DF-400 BI, DF-401 BI, DF-402 BI, DF-444 BI,
14	Hybrid Watermelon	DF-777 WM, DF-7000 WM, DF-710 WM, DF-750 WM,
15	Improved Clusterbens	DF-810 CB, DF-812 CB

- कृषि निदेशालय के ज्ञापक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्व फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

*रमेश कुमार राय*

*Ramesh Kumar Ray*  
21-9-17

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।



FORM 'B'  
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No. 33/2017 Date स्वीकृत- 6045 दिनांक- 22.09.2017

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स डू फ्लोरा एग्री प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, ऑफिस नं०-6, नुतन सुर्यप्रभा मॅसन, 2<sup>nd</sup> फ्लोर, हरीओम अपार्टमेन्ट न्यू डॉक बंगला रोड, पटना is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at मेसर्स डू फ्लोरा एग्री प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, ऑफिस नं०-6, नुतन सुर्यप्रभा मॅसन, 2<sup>nd</sup> फ्लोर, हरीओम अपार्टमेन्ट न्यू डॉक बंगला रोड, पटना the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स डू फ्लोरा एग्री प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, ऑफिस नं०-6, नुतन सुर्यप्रभा मॅसन, 2 <sup>nd</sup> फ्लोर, हरीओम अपार्टमेन्ट न्यू डॉक बंगला रोड, पटना, गोदाम का क्षेत्रफल-500 वर्ग फीट, प्लॉट नं०-638, थाना कन०-14, खेसरा नं०-754 एवं 755, तौजी नं०-398	मेसर्स डू फ्लोरा एग्री प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, ऑफिस नं०-6, नुतन सुर्यप्रभा मॅसन, 2 <sup>nd</sup> फ्लोर, हरीओम अपार्टमेन्ट न्यू डॉक बंगला रोड, पटना, कार्यालय क्षेत्रफल-50 वर्ग फीट
पूरब - श्री सत्यनारायण प्रसाद	पूरब - जगदीश भवन
पश्चिम- सर्वे प्लॉट नं०-757 (श्री रामचन्द्र प्रसाद)	पश्चिम- एपार्टमेन्ट विजर कोसुलटेंसी
दक्षिण- सर्वे प्लॉट नं०-741 (श्री उदय प्रसाद)	दक्षिण- सेन्ट्रल बैंक ऑफिस
उत्तर - वाइपास रोड, नेशनल हाईवे पटना।	उत्तर - हरीओम रेसिडेन्टल अपार्टमेन्ट

Date : 22.09.2017  
Seal :

*(Signature)*  
21.9.17  
Licensing Authority  
Director of Agriculture  
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto 22.09.2017 to 21.09.2018 Unless previously cancelled or suspended. (Twenty two September Two thousand seven to Twenty one thousand September Two thousand and Twenty)
4. The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

*(Signature)*  
24/9/17